बजट—महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय—नया रायपुर

क्रमांक 1157 /एल—2—2/2013/ब—4/चार, नया रायपुर, दिनांक 01/10/2013

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष ।

विषयः— वर्ष 2013—14 के बजट आबंटन की संसूचना ।

संदर्भः— वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 01/एल 6—1/2013/ब—4/चार, दिनांक 01 अप्रैल, 2013

——————————

संदर्भित ज्ञापन द्वारा वर्ष 2013—14 के बजट आबंटन की संसूचना जारी की गई थी, जिसकी कंडिका 1.2.1 के अनुसार विभागों को वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में कुल बजट प्रावधान का 45% तथा निर्माण विभागों (लोक निर्माण, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) तथा वन विभाग के लिए 35% व्यय की सीमा निर्धारित की गई है ।

2— चालू वित्त वर्ष के प्रथम पांच माह में राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि **पूर्व में जारी आवंटन को शामिल करते हुए दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए विभागों की व्यय सीमा बजट प्रावधान (मुख्य बजट + प्रथम अनुपूरक) की 75% की सीमा तक निर्धारित की जाए,** अर्थात् विभागों को प्रथम छमाही के लिए निर्धारित 45% की सीमा के अतिरिक्त 30% तथा निर्माण विभागों एवं वन विभाग के लिए निर्धारित 35% की सीमा के अतिरिक्त 40% राशि दिसम्बर, 2013 तक की अवधि के लिए व्यय हेतु उपलब्ध होगी । अंतिम तिमाही (जनवरी—मार्च, 2014) के आवंटन के लिए पृथक् से निर्देश जारी किये जाएंगे।

3— जिन विभागों को पूर्व में प्रथम छमाही हेतु निर्धारित उपरोक्त सीमा से शिथिलीकरण प्रदान करते हुए बजट प्रावधान के 75% से अधिक व्यय की सहमति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है, उनके लिए पैरा 2 में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात् उन मदों में छूट की सीमा यथावत् रहेगी।

(डी.एस.मिश्र)
अपर मुख्य सचिव
वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 1158 /एल–2–2/2013/ब–4/चार रायपुर, दिनांक 01/10/2013

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/ मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. अपर मुख्य सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
11. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
12. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
13. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
14. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग,
15. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
16. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ ।
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
19. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
20. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
21. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
22. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

01/10/13

(सी.जे.खत्री)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग